न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा (नालन्दा)

<u>क्रि0 रिवीजन नं0–42 / 2026</u>

<u>22.07.2026</u> वाद में आज तिथि नियत है। पुनरीक्षणकर्ता की पैरवी है। पुनरीक्षणकर्ता राजीव कुमार की तरफ से एक आवेदन इस आशय का दिया गया है कि वे स्वेच्छा से इस आपराधिक पुनरीक्षण को वापस लेना चाहते हैं। अतः इन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाय। इस आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। अन्य विपक्षीगण अनुपस्थित है। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुए। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन को प्रचालित किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक उनके निवेदन का कोई विरोध नहीं करते हैं। अतः पुरीक्षणकर्ता की तरफ से दिये गये इस आवेदन एवं उक्त आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के आलोक में यह पुनरीक्षण आवेदन वापस लिये जाने के आधार पर बिना गुण–दोष पर विचार किये खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

APandey

(आलोक कुमार पाण्डेय– I)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा